न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 149/2014

वादीगण :-

1. गुदडराम पुत्र पदमाराम
2. गोरधनराम पुत्र पदमाराम
3. अणदाई पत्नी पदमाराम
4. सेणकी पुत्री पदमाराम
5. गेपूडी पुत्री पदमाराम
6. दरियाव पुत्री पदमाराम
7. केलमी पुत्री पदमाराम
8. बंशीलाल पुत्र मोहनलाल
9. कैलाश पुत्र मोहनलाल

10 मुल्तान पुत्री गोरधन

11 माया पुत्री गोरधन

12 हमीर पुत्र लादूराम फौत

के कायम मुकामान :-

12/1 नौरत पुत्र हमीर

12/2 भूण्डाराम पुत्र हमीर

13. बिदामी पुत्री भोमा फौत

के कायम मुकाम :-

13/1 गुमान पुत्र हापूराम

जातियान-बावरी, निवासीगण-खेडा महाराजपुरा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. घेवरराम पुत्र रावतराम
2. उगमाई पत्नी घेवरराम
3. पूनाराम पुत्र घेवरराम
4. पप्पूराम पुत्र घेवरराम
5. श्यामलाल पुत्र घेवरराम
6. नौरत पुत्र घेवरराम
7. बुद्धाराम पुत्र हापूराम
8. चम्पालाल पुत्र हापूराम

जातियान-बावरी,निवासीगण-खेडा महाराजपूरा, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 15/07/2014

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 03/06/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि राजस्व मौजा-फूलमाल, पटवार हल्का-फूलमाल, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या सात व आठ की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 33-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 237 रकबा 06-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल-2 कुल रकबा 39-14 बीघा की आई हुई हैं। जिसके वादीगण रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबंदी इस वादपत्र के साथ पेश की हैं। इस भूमि को आगे वाद-पत्र में विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादीगण की उक्त खातेदारी सुदा जमीन पैतृक व पुश्तैनी है तथा वादीगण के पूर्वजों के समय से ही वादीगण का इस जमीन पर कब्जा काश्त व हक अधिकार चला आ रहा हैं। प्रतिवादीगण संख्या एक से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पांच का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। प्रतिवादीगण संख्या दो ने खसरा नम्बर 232 की जमीन खरीद की है वादीगण की जमीन व प्रतिवादीगण द्वारा खरीद की गई खसरा नम्बर 232 की जमीन के बीच पूर्व से बड़ी-बड़ी माठे कायम की हुई है व खन्दक लगी हुई है। लेकिन अब प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच भूमि के नाप चौप व माठ को लेकर आये दिन वाद विवाद कर रहे हैं मोके पर प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच जबरदस्ती माठे बिखरने को आमादा हैं, जिस पर वादीगण ने तहसीलदार, जैतारण के समक्ष पेमाईश हेतु आवेदन पत्र किया। तब हल्का पटवारी ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर नाप चौप करने से इन्कार कर दिया जिस पर तहसीलदार ने अभी तक कोई नापचौप के आदेश नहीं किए हैं। इसी वजह से प्रविवादीगण संख्या एक से पांच के हौसले बुलन्द हो गए हैं। वह जबरदस्ती मौके पर रोजाना ही लड़ाई झगडा व विवाद कर रहे हैं एवं माठ पाडने पर आमादा हैं। दिनांक 25/06/2014 को उक्त प्रतिवादीगण घेवरराम वादीगण के पास आया एवं एलानिया कथन किया कि आप इस जमीन पर से अपना कब्जा हटा लो,मै मौके पर जो माठ है उसको तोड़कर आपकी कब्जासुदा जमीन पर अपना कब्जा जगाउगां यदि आपने इस जमीन पर से अपना कब्जा नहीं हटाया तो मैं जबरदस्ती लाठी लकडी के बल पर आपको बेदखल कर दूंगा। जबकि वादीगण कानून को मानने वाले सीधे सादे व्यक्ति हैं। जबकि प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच बदमाश प्रवृति का व्यक्ति हैं, जो जबरदस्ती वादीगण की जमीन दबा लेना चाहते हैं। इस बाबत वादीगण ने थाने में भी रिपोर्ट दी हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं। पुलिस वालों ने इस बाबत न्यायालय से कार्यावाही करने का कहा हैं। इस प्रकार से यदि प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हुए तो वादीगण अपनी खातेदारी व हकसुदा भूमि से हमेशा-हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें एवं वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी करद संभव नही हो सकेगी एवं वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगें जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या छः से सात इस भूमि के सहहिस्सेदार हैं। जिन्होनें वर्तमान में परिस्थितियों में इस वादपत्र की कार्यवाही में भाग लेने से ईन्कार कर दिया हैं। तब उन्हें प्रफोर्मा प्रतिवादीगण पक्षकार के रुप में संयोजित किया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। बिनायवाद दिनांक 25/06/2016 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी गुदडराम को उसकी खातेदारी सुदा व हकसुदा भूमि से बेदखल कर देने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-फूलमाल व रोडा महाराजपुरा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फूलमाल में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण खातेदार काश्तकार हैं, जो राजस्व अभिलेख में अंकित हैं। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। प्रतिवादीगण को जवाबदावा पेश करने हेतु समय दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया गया। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–फूलमाल, पटवार हल्का–फूलमाल, तहसील– जैतारण में वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 33–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 237 रकबा 06–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल–2 कुल रकबा 39–14 बीघा में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–फूलमाल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें हाजदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0** वादी :-

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. गुदड़राम पुत्र पदमाराम
2. गोरधनराम पुत्र पदमाराम
3. अणदाई पत्नी पदमाराम
4. सेणकी पुत्री पदमाराम
5. मेपूड़ी पुत्री पदमाराम
6. दरियाव पुत्री पदमाराम
7. केलगी पुत्री पदमाराम
8. बंशीलाल पुत्र मोहनलाल
9. कैलाश पुत्र मोहनलाल

13 गुल्तान पुत्री गोरधन

14 माया पुत्री गोरधन

15 हमीर पुत्र लादूराम फौत
के कायम मुकामान :-
12/1 नौरत पुत्र हमीर
12/2 भूण्डाराम पुत्र हमीर
13. बिदामी पुत्री भोमा फौत
के कायम मुकाम :-
13/1 गुमान पुत्र हापूराम
जातियान-बावरी, निवासीगण-खेडा
महाराजपुरा, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राज0)

प्रतिवादीगण :-

1. घेवरराम पुत्र रावतराम
2. उगमाई पत्नी घेवरराम
3. पूनाराम पुत्र घेवरराम
4. पप्पूराम पुत्र घेवरराम
5. श्यामलाल पुत्र घेवरराम
6. नौरत पुत्र घेवरराम
7. बुद्धाराम पुत्र हापूराम
8. चम्पालाल पुत्र हापूराम

जातियान-बावरी,निवासीगण-खेडा
महाराजपूरा, तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राजस्थान)

<u>राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> मु0न0 :रा0या0स0:149/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-फूलमाल, पटवार हल्का-फूलमाल, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 33-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 237 रकबा 06-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल-2 कुल रकबा 39-14 बीघा में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	06-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner